	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-9.2.	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश प्रा-पत्र O7 R11 आ-दी० स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल

पीठासीन अधिकारी—डॉ0 पूजा सक्सेना आर.ए.एस.

वाद संख्याः— 37 / 2019

अनवान

श्री छोगा पिता वरदा माली निवासी बागोर तहसील मांडल जिला—भीलवाड़ा वगैरह

———वादीगण

बनाम

1— श्रीमती कान्ता पत्नि राधेश्याम खटौड़ निवासी बागोर त0 मांडल जिला भीलवाड़ा वगैरह

———प्रतिवादीगण

(वाद अन्तर्गत धारा 88व 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

बाबत—घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीयाः— श्रीमती कान्ता पत्नि राधेश्याम खटौड़ निवासी बागोर

प्रार्थना पत्रः— अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं 151 जा0दी0

———

आदेश दिनांक 30.09.2021

प्रार्थीया(प्रतिवादी सं01) के द्वारा दिनांक 29.08.2019 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में पंजीबद्ध दस्तावेज को फर्जी होना बताया है जिसकी सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थीया(प्रतिवादी सं01) ने ग्राम बागोर की आ0नं0 2106/1 मे 12 बिस्वा व आ0नं0 7764/2106 रकबा 08 बिस्वा में से .02 बिस्वा भूमि वादीगण से प्रतिवादीया ने जरिये पजीबद्ध विक्रयपत्र क्रमशः दिनांक 01.02.2007 व दिनांक 15.05.2007 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जो प्रतिवादीया के नाम खातेदारी से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । वादीगण ने उक्त दस्तावेज फर्जी एवं कपटपूर्ण तरीके से प्रतिवादीया ने निष्पादित करा लिया जिसे निरस्त करा पुनः वादवर्णित भूमि वादीगण के नाम खातेदारी से दर्ज करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण (वादीगण) के द्वारा दिनांक 18.03.2021 को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र फजी एवं कपटपूर्ण से निष्पादित कराया जो पूर्णतः अवैध एवं शून्य है। जिससे वादी बाध्यकारी नही है। वाद पत्र खातेदारी घोषणा का है जिसकी सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीया(प्रतिवादी सं0 1) ने विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज से वादवर्णित भूमि को आज से 12 वर्ष पूर्व क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जो प्रतिवादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से दर्ज हो चुकी है। यदि पंजीबद्ध दस्तावेज फर्जी व कपटपूर्ण है तो इसकी सुनवाई करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस में वकील अप्रार्थी (वादीगण) ने निवेदन किया कि मेरे द्वारा रजिस्ट्री धोखे से करवाया जाना अंकित किया है जो कि साक्ष्य से सिद्ध करवाया जावेगा। मेरे द्वारा वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया । ग्राम बागोर की आराजी नम्बर 2106/1 रकबा 11 बिस्वा व आ0नं0 7787/2106 रकबा 2 बिस्वा श्रीमती कान्ता पत्नि रोधश्याम खटौड. सा0देह के नाम नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खातेदारी से दर्ज है। आ0नं0 2106/1 में से 30 गुणा 40 फीट अर्थात 1200 वर्गफीट भूमि का बिकाव जरिये पंजीबद्ध विक्रयविलेख से श्री मोहनलाल पिता रामप्रसाद आचार्य को प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा बेचान किया जो राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में 01 बिस्वा भूमि मोहनलाल के नाम पर खातेदारी से दर्ज है जिसके नम्बर 2106/3 बने। **''वादी ने वाद के पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर टंकित बिन्दु संख्या 5 में अंकित किया कि वादीगण की उक्त खसरान की कृषि भूमि का झूंठ, कपट एवं फर्जी तरीके से बेचावनामा तैयार कर प्रतिवादी सं0 1 ने अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जो पूरी तरह से संदिग्ध एवं फर्जी है।''** इस प्रकार वादी ने जो वाद घोषणा का प्रस्तुत किया है उसमें वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में वर्ष 2007 में वादवर्णित भूमियों के सम्बन्ध में जिन दस्तावजों का पंजीयन करवाया गया है उसे संदिग्ध व फर्जी बताया है । किसी भी प्रकार का दस्तावेज संदिग्ध या फर्जी है इस सम्बन्ध में निर्णय करन या सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार यह वाद पूर्णतया विधि विरूद्ध होकर इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व नियम 151 जा0दी0 स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 30.09.2021 को टंकण कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:41 IST
Reason: SelfAttested